

28.02.2024

पत्रावली पैश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कुम्हारिया प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

फिर (ज) 28/2/24  
28/2/2024

1. श्री सुशील कुमार पुत्र मदनलाल लाठी सा0 पुरानी धानमण्डी कसारा बाजार भीलवाड़ा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
209/1	0.8334	-
261/3	0.1712	-
259/2	0.5886	-
किता 03	1.5932 हेक्टेयर	-

2. श्री कालूलाल पुत्र रामलाल 1/6 तेली सा. पातलियास, मथरालाल पुत्र रामलाल 1/6 तेली सा. पातलियास, रामलाल पुत्र भैरू 2/3 तेली सा. पातलियास खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
209/2	0.1150	
261/2	0.8151	
259/3	0.3724	
256/2	0.2908	
किता 04	1.5933 हेक्टेयर	

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

Abad  
(आब्बाद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन कार्यकारी अधिकारी  
भीलवाड़ा

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा**

पीठासीन अधिकारी -आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.  
उनवान

1-श्री सुशील कुमार लाठी पुत्र मदनलाल लाठी निवासी पुरानी धानमण्डी,  
कसारा बाजार, भीलवाडा।

—वादी

बनाम

- 1-श्री कालूलाल पिता रामलाल तेली निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ व  
जिला भीलवाडा।
- 2-श्री मथुरालाल पिता रामलाल तेली निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ व  
जिला भीलवाडा।
- 3-श्री रामलाल पिता भैरू तेली निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ जिला  
भीलवाडा।
- 4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0**

**प्रकरण संख्या 88/2023 राजस्व वाद**

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैन उपस्थित प्रतिवादीगण की और से - इस वाद में तारीख 28.02.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिक्री दी जाती है -

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि कुम्हारिया प0ह0 भोली भू0अ0नि0क्षेत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. श्री सुशील कुमार पुत्र मदनलाल लाठी सा0 पुरानी धानमण्डी कसारा बाजार भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
209/1	0.8334	—
261/3	0.1712	—
259/2	0.5886	—
किता 03	1.5932 हैक्टेयर	—


**उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
भीलवाडा**

2. श्री कालूलाल पुत्र रामलाल 1/6 तेली सा. पातलियास, मथरालाल पुत्र रामलाल 1/6 तेली सा. पातलियास, रामलाल पुत्र भैरू 2/3 तेली सा. पातलियास खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
209 / 2	0.1150	—
261 / 2	0.8151	—
259 / 3	0.3724	—
256 / 2	0.2908	—
किता 04	1.5933 हैक्टेयर	—

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(आब्दाद निश्चिन्नाधीन)   
उपखण्ड अधिकारी सबवेदन   
पुणे सहायक कलक्टर भीलवाडा